cam. 2461
16/11/17

संख्याः–1131 /XX(5)/17–01(हो0गा0)/2014

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 14 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषयः–होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण/परेड भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–सीजी–65/हो0गा0/2002/296, दिनांक–22.06.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या–563/लेखा/तीन–139/1996, दिनांक–10.02.1997 एवं गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–277/XX(5)/10–37/हो0गा0/2004, दिनांक–16.12.2010 द्वारा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण/परेड भत्तों की निर्धारित दरों को पुनरीक्षित करते हुये निम्न विवरणानुसार निर्धारित भत्ते अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

व्यय की मद	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1–प्रशिक्षण अवधि में जेब खर्च ग्रामीण/शहरी होमगार्ड्स	रू0–80/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–120/प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन
2–शिविर प्रशिक्षण अवधि में शहरी/ग्रामीण होमगार्ड्स के लिए भोजन भत्ते	रू0–60/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–100/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन

व्यय की मद	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1–शहरी/ग्रामीण होमगार्ड्स को 02 से 2½ घण्टे परेड	रू0–14/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–100/प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन
2– 2½ घण्टे से अधिक परेड	रू0–28/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–150/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन

2– उपर्युक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक "2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) की उप मद 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन/44–प्रशिक्षण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–85 मतदेय/XXVII(5)/2010, दिनांक–04.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

Hh Sec

C.O.
14-11-17

HWear

A-Dir.Ch(E)

क्रमशः–2

Rawat-------letter---2017--------doc

संख्याः– 1131/XX(5)/17–01(हो0गा0)/14, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, नागारिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स, गढ़वाल/कुमांऊ।
5. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–01/05, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव।

Rawat--------letter---2017--------doc